

Directorate of Enforcement (ED) has provisionally attached 78 immovable properties and 16 movable properties valued at Rs. 124 Crore (approx.) in the possession of various persons and entities linked to the Chennai based Surana Group of Companies under the provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 in connection with three cases of Bank Fraud involving Rs 3986 Crore of Principal Outstanding Amount to the Public Sector Banks. ED had earlier attached properties valued at Rs. 124.95 Crore (approx.). Now, the total attachment in the case stands at Rs. 248.98 Crore.

ED initiated money laundering investigation on the basis of three FIRs by Central Bureau of Investigation, BF&SB, Bengaluru registered against M/s Surana Industries Limited & Others, M/s Surana Power Limited & Others and M/s Surana Corporation Limited & Others. ED Investigations have revealed that these three companies of Surana Group have defrauded the banks by floating a web of shell companies wherein they appointed its employees/ relatives as Directors/ Proprietors/ Partners and indulged in paper transactions with them without actual movement of goods, the credit capital of the banks were round tripped/ layered to the personal accounts of the promoters of the company by projecting the bank funds as unsecured loans from their associate shell companies and same funds were then subsequently infused in the main Group Companies as part of the Promoters contribution to enhance the drawing power limits. Further, some of the diverted funds were used to purchase movable/ immovables properties in the names of various benami persons/ companies. These actions of the Promoters/ officials of the Surana Group led to the accounts becoming irregular which ultimately led to accounts becoming NPA.

Based on the investigations conducted, Dinesh Chand Surana, MD of M/s Surana Industries Limited & M/s Surana Power Ltd, Vijay Raj Surana, MD of M/s Surana Corporation Limited and two dummy directors of shell companies viz. P. Anand and I Prabhakaran, were arrested on 12.07.2022 and later they all were sent to Judicial Custody. The Prosecution Complaints were filed before the Special Court, PMLA.

Further	Investigation	is underway	in the matter.	



प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों की 3986 करोड़ रुपये की मूल बकाया राशि के तीन बैंक धोखाधड़ी मामलों के संबंध में चेन्नई स्थित सुराणा ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के कब्जे से कुल ₹124.03 करोड़ (लगभग) मूल्य की 78 अचल संपत्तियों और 16 चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया। ईडी ने पहले भी दो अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) द्वारा ₹124.95 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्तियों को कुर्क किया था। अब, मामले में कुल कुर्की ₹248.98 करोड़ (लगभग) की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने सुराणा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य, सुराणा पावर लिमिटेड और अन्य एवं सुराणा कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बीएफ एवं एसबी, बेंगलुरु द्वारा दर्ज तीन प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) की जांच शुरू की। ईडी की जांच से पता चला है कि सुराणा समूह की इन तीन कंपनियों ने दिखावटी (शेल) कंपनियों का एक जाल बनाकर बैंकों के साथ धोखाधड़ी की है। इन कंपनियों में उनलोगों ने अपने कर्मचारियों/रिश्तेदारों को निदेशकों/मालिकों/साझेदारों के रूप में नियुक्त किया और माल की वास्तविक आवाजाही के बिना ही उनके साथ कागजी लेनदेन में संलिप्त थे, बैंकों से प्राप्त उधार पूंजी (क्रेडिट कैपिटल) को सहयोगी दिखावटी (शेल) कंपनियों में 'असुरिक्षत ऋण' के रूप में दिखाकर कंपनी के प्रमोटरों के व्यक्तिगत खातों में घुमाफिराकर/विभिन्न मदों में अदला बदली करके लेनदेन कराया गया और उसी धन को बाद में आहरण शक्ति (ड्राइंग पावर) सीमा को बढ़ाने के लिए प्रमोटरों के योगदान के हिस्से के रूप में मुख्य समूह की कंपनियों के खातों में शामिल किया गया था। इसके अलावा, कुछ विपियत (डायवर्टेड) निधियों का उपयोग विभिन्न बेनामी व्यक्तियों/कंपनियों के नाम पर चल / अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया। सुराणा समूह के प्रमोटरों/कर्मचारियों की इन कार्यकलापों के कारण बैंकों द्वारा कंपनियों को दिए गए सभी लोन अनियमित होकर अंततः अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) में परिणत हो गए।

अन्वेषण के आधार पर, दिनेश चंद सुराणा, मेसर्स सुराणा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मेसर्स सुराणा पावर लिमिटेड, विजय राज सुराणा, मेसर्स सुराणा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) और दिखावटी (शेल) कंपनियों के दो नकली (डमी) निदेशक पी आनंद और प्रभाकरन को 12.07.2022 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अभियोजन की शिकायतें विशेष न्यायालय, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के समक्ष दायर की गई थी।

मामले में, आगे की जांच चल रही है।

\*\*\*\*\*\*\*\*